राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांकः प.8(1)राज/वाद/19 जयपुर, दिनांक 10/11/22

:आदेश:

विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.05.22 द्वारा दिनांक 17.04.18 के पश्चात सृजित जिला मुख्यालयों पर स्थापित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों को छोडकर शेष अन्य स्थानों पर स्थापित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों को एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नगर जिला भरतपुर को नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया है एवं उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।

अतः विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.05.22 क्रम में दिनांक 17.04.18 के पश्चात सृजित जिला मुख्यालयों पर स्थापित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों को छोडकर शेष अन्य स्थानों पर स्थापित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नगर जिला भरतपुर में राज्य की ओर से पैरवीरत अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उत्पन्न मामलों में विचारण करने हेतु विनिर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश के न्यायालयों में पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक की शक्तियां एतत्द्वारा प्रदत्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह०
(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5 रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
6 रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच, जयपुर।
7 प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि।
8 समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
9 महानिदेशक, आरक्षी/जेल राजस्थान जयपुर।
10 निदेशक अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11 निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
12 निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13 समस्त लोक/अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक।
14 सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
15 प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16 रक्षित पत्रावली।

10/11/22
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि